

राजनीति और सार्वजनिक जीवन में महिलाओं की लिंग पहचान: नेतृत्व और प्रतिनिधित्व के संदर्भ में

पंकज मीणा*
डॉ. लाला राम मीणा**

सार

वर्तमान समय में राजनीति और सार्वजनिक जीवन में महिलाओं की सक्रिय भागीदारी सामाजिक परिवर्तन और समावेशी विकास के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण मानी जाती है। यद्यपि विश्व के अनेक देशों, विशेषकर भारत जैसे विकासशील राष्ट्रों में महिला नेतृत्व और प्रतिनिधित्व की स्थिति में उल्लेखनीय सुधार हुआ है, फिर भी लिंग आधारित पूर्वाग्रह, सामाजिक-सांस्कृतिक बाधाएँ, और संरचनात्मक असमानताएँ महिलाओं की पूर्ण सहभागिता को सीमित करती हैं। यह शोध-पत्र राजनीति और सार्वजनिक जीवन में महिलाओं की लिंग पहचान, नेतृत्व में उनकी भूमिका, और प्रतिनिधित्व के स्तर का विश्लेषण करता है। शोध के अंतर्गत द्वितीयक स्रोतों और चयनित केस स्टडी के माध्यम से उन कारकों की पहचान की गई है, जो महिला राजनेताओं के सामाजिक स्वीकृति, राजनीतिक निर्णय-निर्माण और जन प्रतिनिधित्व की प्रक्रिया को प्रभावित करते हैं। अध्ययन में यह पाया गया कि आरक्षण नीति, महिला सशक्तिकरण अभियानों तथा शैक्षिक-सामाजिक जागरूकता ने महिलाओं के राजनीतिक सशक्तिकरण को नई दिशा दी है, किंतु समानता प्राप्ति की प्रक्रिया अभी भी बाधित है। शोध निष्कर्षों के आधार पर यह स्पष्ट हुआ कि राजनीति में महिलाओं की लिंग पहचान न केवल सामाजिक पहचान का प्रतीक है, बल्कि नीति-निर्धारण में विविध दृष्टिकोणों और अनुभवों को सम्मिलित करने का माध्यम भी है। साथ ही, नेतृत्व के स्तर पर महिलाओं की सहभागिता उनके समुदाय और समग्र समाज की स्थिति सुधारने में निर्णायक भूमिका निभा सकती है। अतः यह अध्ययन सार्वजनिक जीवन में लिंग-समता आधारित समावेशी नेतृत्व और महिलाओं के सशक्तिकरण की दिशा में नीतिगत सुधार तथा सामाजिक दृष्टिकोण परिवर्तन की आवश्यकता को रेखांकित करता है।

शब्दकोश: लिंग पहचान, महिला नेतृत्व, राजनीति, सार्वजनिक जीवन, प्रतिनिधित्व, सशक्तिकरण।

प्रस्तावना

राजनीति और सार्वजनिक जीवन समाज की संरचना और विकास का आधार होते हैं, जहाँ प्रत्येक नागरिक का सक्रिय भागीदारी और प्रतिनिधित्व लोकतांत्रिक सिद्धांतों की अनिवार्य शर्त मानी जाती है। किंतु ऐतिहासिक दृष्टि से देखा जाए तो महिलाओं को सदैव एक सीमित सामाजिक-राजनीतिक भूमिका तक सीमित किया गया है। पितृसत्तात्मक व्यवस्था और लिंग आधारित सामाजिक धारणाओं ने महिलाओं को घरेलू कार्य और परिवार तक ही बाँध कर रखा, जिससे उनका सार्वजनिक जीवन एवं राजनीतिक निर्णय-निर्माण में सहभागिता

* शोधार्थी, समाजशास्त्र विभाग, राजस्थान विश्वविद्यालय, जयपुर, राजस्थान।

** शोध निर्देशक एवं प्रोफेसर, SPNKS राजकीय पीजी महाविद्यालय, दौसा, राजस्थान।

सीमित रही। बीसवीं सदी के उत्तरार्ध में विश्वभर में नारीवादी आंदोलनों और महिला सशक्तिकरण अभियानों के प्रभाव से महिलाओं की राजनीतिक सक्रियता एवं नेतृत्व की भूमिका में सकारात्मक परिवर्तन अवश्य आया, किंतु लिंग असमानता की जड़ें आज भी अनेक रूपों में विद्यमान हैं।

भारत जैसे लोकतांत्रिक राष्ट्र में संविधान प्रदत्त समानता के अधिकार तथा 73वें एवं 74वें संविधान संशोधन अधिनियमों के माध्यम से पंचायती राज व्यवस्था में महिलाओं को आरक्षण देकर नेतृत्व की भूमिकाओं में स्थान दिया गया। बावजूद इसके, महिलाओं का राजनीतिक प्रतिनिधित्व संख्या और प्रभाव दोनों स्तरों पर सीमित है। राजनीतिक दलों के निर्णय-निर्माण निकायों, विधानमंडलों और लोकसभा में महिलाओं की भागीदारी अपेक्षाकृत कम है। इसके पीछे पारंपरिक लिंग आधारित पूर्वाग्रह, सामाजिक-सांस्कृतिक बाधाएँ, शिक्षा एवं आर्थिक सशक्तिकरण की कमी तथा राजनीतिक परिवेश में पुरुष वर्चस्व जैसे अनेक कारक उत्तरदायी हैं।

यह शोध-पत्र राजनीति और सार्वजनिक जीवन में महिलाओं की लिंग पहचान को नेतृत्व और प्रतिनिधित्व के संदर्भ में विश्लेषित करने का प्रयास है। अध्ययन का उद्देश्य यह समझना है कि सामाजिक संरचनाओं और राजनैतिक संस्थाओं में महिलाओं की पहचान किस प्रकार निर्मित एवं प्रभावित होती है तथा किस प्रकार उनके नेतृत्व कौशल, निर्णय-निर्माण क्षमता एवं प्रतिनिधित्व पर प्रभाव डालती है। साथ ही, यह अध्ययन उन कारकों की पहचान करेगा, जो महिला राजनेताओं के सामाजिक स्वीकृति और सशक्त राजनीतिक भूमिका को सुदृढ़ या बाधित करते हैं।

अतः यह शोध सामाजिक न्याय, लोकतांत्रिक सहभागिता और लिंग समानता की दिशा में सकारात्मक हस्तक्षेप की संभावनाओं को चिन्हित करने के साथ-साथ सार्वजनिक जीवन में महिलाओं की सशक्त उपस्थिति के लिए नीतिगत और सामाजिक परिवर्तन की आवश्यकता को रेखांकित करेगा।

अध्ययन की पृष्ठभूमि

समाजशास्त्रीय और राजनीतिक दृष्टि से राजनीति तथा सार्वजनिक जीवन में महिलाओं की भागीदारी किसी भी लोकतांत्रिक व्यवस्था की मजबूती और सामाजिक न्याय की सच्ची पहचान मानी जाती है। यद्यपि प्राचीन भारतीय इतिहास में कुछ उदाहरण मिलते हैं जहाँ महिलाएँ नेतृत्वकारी भूमिकाओं में रही हैं – जैसे वैदिक काल की विदुषी गार्गी और अपाला, अथवा मध्यकाल की रानी दुर्गावती और रज़िया सुल्तान – किंतु व्यापक स्तर पर महिलाओं को राजनीति और सार्वजनिक निर्णय-निर्माण की प्रक्रिया से वंचित रखा गया।

औपनिवेशिक काल में भी महिलाओं की सार्वजनिक सक्रियता सीमित रही, किंतु स्वतंत्रता आंदोलन के दौरान महात्मा गांधी, सुभाषचंद्र बोस, और अन्य राष्ट्रवादी नेताओं के आह्वान पर हजारों महिलाओं ने स्वतंत्रता संग्राम में भाग लिया। स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद भारत के संविधान ने सभी नागरिकों को समान अधिकार प्रदान किए, परंतु राजनीतिक प्रतिनिधित्व और नेतृत्व के स्तर पर महिलाओं की सहभागिता सीमित बनी रही।

समय के साथ जब महिला सशक्तिकरण और लिंग समानता की अवधारणाएँ सामाजिक विमर्श के केंद्र में आईं, तब राजनीति में महिलाओं की भागीदारी बढ़ाने के लिए अनेक प्रयास किए गए। 73वें और 74वें संविधान संशोधन (1992) के माध्यम से पंचायती राज संस्थाओं और नगरीय निकायों में महिलाओं को 33% आरक्षण का प्रावधान किया गया, जिसने जमीनी स्तर पर महिलाओं के नेतृत्व को मजबूती प्रदान की। इसके बावजूद संसद और विधानसभाओं में महिला प्रतिनिधित्व की स्थिति असंतोषजनक बनी हुई है।

राजनीति में महिलाओं की कम भागीदारी का मुख्य कारण पितृसत्तात्मक समाज व्यवस्था, लिंग आधारित पूर्वाग्रह, शिक्षा और आर्थिक स्वतंत्रता की कमी, तथा राजनीतिक दलों की पुरुष केंद्रित नीतियाँ हैं। राजनीति को अभी भी एक पुरुष-प्रधान और प्रतिस्पर्धात्मक क्षेत्र माना जाता है, जहाँ महिलाओं की छवि को पारंपरिक भूमिकाओं तक सीमित कर दिया जाता है।

आज के समय में जब वैश्विक स्तर पर लैंगिक समानता और समावेशी नेतृत्व की मांग उठ रही है, यह आवश्यक हो गया है कि राजनीति और सार्वजनिक जीवन में महिलाओं की लिंग पहचान, उनकी नेतृत्व क्षमता

और प्रतिनिधित्व को एक गंभीर विमर्श का विषय बनाया जाए। यह अध्ययन इसी पृष्ठभूमि में महिलाओं के राजनीतिक प्रतिनिधित्व की स्थिति, उसमें आने वाली सामाजिक-सांस्कृतिक और संरचनात्मक बाधाओं तथा संभावित समाधान की दिशा में विमर्श प्रस्तुत करने का प्रयास है।

अध्ययन की परिसीमा

यह अध्ययन राजनीति और सार्वजनिक जीवन में महिलाओं की लिंग पहचान, उनके नेतृत्व एवं प्रतिनिधित्व के सामाजिक, राजनीतिक तथा सांस्कृतिक पक्षों का विश्लेषण करने पर केंद्रित है। इसमें विशेष रूप से भारत के संदर्भ में महिला राजनेताओं, पंचायती राज प्रतिनिधियों, और नगरीय निकायों में कार्यरत महिलाओं की भूमिका का परीक्षण किया गया है।

इस शोध के अंतर्गत निम्न बिंदु शामिल किए गए हैं:

- राजनीति और सार्वजनिक जीवन में महिलाओं की भागीदारी का ऐतिहासिक और समकालीन परिप्रेक्ष्य।
- लिंग पहचान के सामाजिक-राजनीतिक निर्माण और उसकी भूमिका।
- महिला नेतृत्व में आने वाली चुनौतियाँ एवं अवसर।
- आरक्षण नीति और महिला सशक्तिकरण अभियानों का प्रभाव।
- नेतृत्व के स्तर पर महिला प्रतिनिधित्व की गुणवत्ता और समाज पर उसका प्रभाव।

अध्ययन समाजशास्त्र, राजनीति विज्ञान और महिला अध्ययन की अंतर्विषयक

दृष्टि से विषय का विश्लेषण करता है। इसके अंतर्गत द्वितीयक आंकड़ों, सरकारी रिपोर्टों, केस स्टडी एवं साक्षात्कार आधारित सूचनाओं का उपयोग किया गया है।

अध्ययन की सीमाएँ

यद्यपि यह अध्ययन राजनीति और सार्वजनिक जीवन में महिलाओं की लिंग पहचान और नेतृत्व से जुड़े कई महत्वपूर्ण पहलुओं को समाहित करता है, फिर भी इसकी कुछ सीमाएँ भी हैं, जिन्हें निम्न रूप में रेखांकित किया जा सकता है:

अध्ययन का भौगोलिक क्षेत्र मुख्यतः भारत तक ही सीमित है, अतः इसके निष्कर्ष अन्य देशों या वैश्विक संदर्भ में प्रत्यक्षतः लागू नहीं किए जा सकते।

अधिकांश आंकड़े द्वितीयक स्रोतों (सरकारी रिपोर्ट, पूर्ववर्ती शोध, समाचार-पत्र, पत्र-पत्रिकाएँ) पर आधारित हैं, जिससे प्राथमिक साक्षात्कारों और ग्राउंड-लेवल अनुभवों की व्यापकता सीमित रही।

महिला प्रतिनिधित्व का आंकलन प्रायः संख्या आधारित रहा, जबकि गुणवत्ता और प्रभाव का आंकलन अपेक्षाकृत कम किया गया।

राजनीति में लिंग पहचान के प्रभाव को पूर्णतः निरपेक्ष रूप से मापना कठिन है क्योंकि इसमें अनेक सांस्कृतिक, आर्थिक और क्षेत्रीय भिन्नताएँ शामिल होती हैं।

इस अध्ययन में केवल राजनीतिक और सार्वजनिक नेतृत्व तक ही सीमित विषयवस्तु को विश्लेषित किया गया है, जबकि अन्य सामाजिक-सांस्कृतिक क्षेत्रों में महिलाओं की लिंग पहचान का विश्लेषण इस शोध के दायरे से बाहर रहा।

अध्ययन के उद्देश्य

- राजनीति और सार्वजनिक जीवन में महिलाओं की भागीदारी का ऐतिहासिक एवं समकालीन परिप्रेक्ष्य प्रस्तुत करना।
- महिलाओं की लिंग पहचान के सामाजिक-राजनीतिक निर्माण की प्रक्रिया का विश्लेषण करना।

- राजनीति में महिला नेतृत्व की भूमिका और उसकी सामाजिक स्वीकृति का अध्ययन करना।
- महिला प्रतिनिधित्व पर आरक्षण नीति, महिला सशक्तिकरण अभियान और सामाजिक जागरूकता के प्रभाव का मूल्यांकन करना।
- राजनीति में महिलाओं के प्रतिनिधित्व की संख्या एवं गुणवत्ता दोनों का तुलनात्मक विश्लेषण करना।
- राजनीति एवं सार्वजनिक जीवन में महिलाओं के नेतृत्व को सशक्त बनाने हेतु संभावित उपायों एवं सुझावों का प्रस्ताव प्रस्तुत करना।

समीक्षात्मक साहित्य

नीलम सिंह (2015) ने अपने शोध “भारतीय राजनीति में महिलाओं की स्थिति और नेतृत्व की संभावनाएँ” में यह स्पष्ट किया कि भारतीय राजनीति में महिलाएँ संख्या के हिसाब से आरक्षण के कारण स्थान पा रही हैं, किंतु नेतृत्वकारी भूमिकाओं में उनकी वास्तविक सहभागिता सीमित है। नीलम सिंह ने यह भी बताया कि ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों में महिला प्रतिनिधियों को भिन्न-भिन्न सामाजिक पूर्वग्रहों का सामना करना पड़ता है, जिससे उनके राजनीतिक निर्णय लेने की स्वतंत्रता प्रभावित होती है।

संगीता शर्मा (2016) ने “सार्वजनिक जीवन में महिलाओं की भूमिका और सामाजिक दृष्टिकोण” नामक अपने अध्ययन में पाया कि भारत में सार्वजनिक जीवन में महिलाओं की सहभागिता लगातार बढ़ रही है, परंतु लिंग आधारित रुढ़ियों और पितृसत्तात्मक सोच उनके नेतृत्व को सीमित कर रही हैं। इस अध्ययन के अनुसार, महिला नेतृत्व के सशक्तिकरण के लिए सामाजिक मानसिकता में परिवर्तन अनिवार्य है।

डॉ. कविता अग्रवाल (2017) ने “महिला नेतृत्व: राजनीति में अवसर और चुनौतियाँ” शीर्षक शोध में बताया कि पंचायती राज व्यवस्था में महिलाओं के लिए आरक्षण लागू होने के बाद स्थानीय स्तर पर महिलाओं की भागीदारी में उल्लेखनीय वृद्धि हुई है। हालांकि, उन्होंने रेखांकित किया कि कई बार महिला प्रतिनिधि केवल औपचारिक प्रतिनिधि बनकर रह जाती हैं और वास्तविक निर्णय उनके परिवार के पुरुष सदस्य लेते हैं।

रीता चौहान (2018) ने “राजनीतिक नेतृत्व में महिला सशक्तिकरण की दिशा में सरकारी प्रयासों का मूल्यांकन” में भारत सरकार द्वारा चलाए जा रहे महिला सशक्तिकरण कार्यक्रमों के प्रभाव का अध्ययन किया। उन्होंने निष्कर्ष निकाला कि आरक्षण नीति और महिला जागरूकता अभियानों से राजनीति में महिलाओं की संख्या तो बढ़ी है, लेकिन उनकी निर्णायक भागीदारी अब भी बाधित है।

डॉ. प्रिया वर्मा (2019) ने अपने शोध “लिंग समानता और राजनीतिक प्रतिनिधित्व: भारतीय परिप्रेक्ष्य” में लिंग असमानता की ऐतिहासिक पृष्ठभूमि का विश्लेषण करते हुए बताया कि भारत में राजनीति के हर स्तर पर महिलाओं को कई सामाजिक-सांस्कृतिक अड़चनों का सामना करना पड़ता है। उन्होंने सुझाव दिया कि केवल आरक्षण पर्याप्त नहीं है, बल्कि शिक्षा, आर्थिक स्वावलंबन और राजनीतिक प्रशिक्षण आवश्यक है।

अंजली श्रीवास्तव (2020) ने “राजनीति में महिला नेतृत्व और लिंग भेदभाव की स्थितियाँ” में महिला नेतृत्व को प्रभावित करने वाले कारकों का विश्लेषण किया। उनके अनुसार राजनीति में महिलाओं को कई बार पुरुष राजनीतिज्ञों द्वारा हाशिए पर डाल दिया जाता है और उनकी निर्णय-निर्माण प्रक्रिया में अवरोध उत्पन्न किए जाते हैं।

डॉ. रचना तिवारी (2021) ने “भारतीय राजनीति में महिला प्रतिनिधित्व: एक समकालीन अध्ययन” में बताया कि भारतीय संसद और विधानसभाओं में महिलाओं का प्रतिनिधित्व आज भी अपेक्षित स्तर तक नहीं पहुँच पाया है। उन्होंने वैश्विक परिप्रेक्ष्य में भारत की स्थिति का तुलनात्मक अध्ययन किया और सुझाव दिया कि राजनीतिक दलों को महिला उम्मीदवारों को टिकट देने में सकारात्मक रवैया अपनाना चाहिए।

सुषमा गुप्ता (2022) ने “राजनीति में महिलाओं की भूमिका: सामाजिक-सांस्कृतिक बाधाएँ और समाधान” में यह निष्कर्ष निकाला कि महिलाओं की राजनीतिक भागीदारी में सबसे बड़ी बाधा पितृसत्तात्मक सामाजिक

ढांचा है। उन्होंने इस समस्या के समाधान के लिए परिवार, समाज और संस्थागत स्तर पर समग्र प्रयास की आवश्यकता पर बल दिया।

डॉ. सीमा जोशी (2023) ने “पंचायती राज संस्थाओं में महिलाओं का राजनीतिक सशक्तिकरण” विषयक शोध में पाया कि आरक्षण ने ग्रामीण स्तर पर महिलाओं को नेतृत्व का अवसर प्रदान किया है। लेकिन समाज में गहरी जड़ें जमा चुकी लैंगिक धारणाएँ अब भी उनकी कार्यशैली और निर्णय लेने की क्षमता को प्रभावित करती हैं।

मनीषा सिंह (2024) ने “भारत में महिला राजनीति: अवसर, संकट और भविष्य की दिशा” शीर्षक से अपने नवीन शोध में बताया कि नई पीढ़ी की शिक्षित, जागरूक और डिजिटल मीडिया से जुड़ी महिलाएँ अब राजनीति में सशक्त भूमिका निभाने को तैयार हैं। उन्होंने यह भी कहा कि आने वाले वर्षों में यदि राजनीतिक दल, सरकार और समाज सहयोग करें, तो महिला नेतृत्व एक निर्णायक बदलाव ला सकता है।

शोध पद्धति

यह अध्ययन वर्णनात्मक एवं विश्लेषणात्मक दोनों प्रवृत्तियों पर आधारित है। इसमें राजनीति और सार्वजनिक जीवन में महिलाओं की लिंग पहचान, नेतृत्व और प्रतिनिधित्व की वर्तमान स्थिति तथा इससे जुड़ी सामाजिक-सांस्कृतिक बाधाओं का विश्लेषण किया गया है। अध्ययन में गुणात्मक और मात्रात्मक दोनों प्रकार की जानकारी का संग्रह एवं विवेचन किया गया है।

शोध की प्रकृति

यह शोध सामाजिक विज्ञान के क्षेत्र में किया गया व्यावहारिक अध्ययन है, जिसमें समाज में विद्यमान लिंग आधारित भेदभाव और महिलाओं की राजनीतिक स्थिति को प्रत्यक्ष अनुभवों तथा उपलब्ध आंकड़ों के आधार पर समझने का प्रयास किया गया है।

डेटा संग्रहण के स्रोत

इस अध्ययन में दोनों प्रकार के आँकड़ों का संग्रह किया गया:

- **प्राथमिक आँकड़े**

महिला प्रतिनिधियों के प्रत्यक्ष साक्षात्कार, केस अध्ययन, समूह चर्चा तथा प्रेक्षण के माध्यम से जानकारी संकलित की गई।

- **द्वितीयक आँकड़े**

पुस्तकें, शोध-पत्र, पत्र-पत्रिकाएँ, सरकारी रिपोर्टें, जनगणना रिपोर्ट, आयोगों की रिपोर्ट तथा महिला सशक्तिकरण संबंधी दस्तावेजों से आंकड़े एकत्र किए गए।

नमूना चयन

शोध में सुविधाजन्य प्रतिचयन विधि का प्रयोग किया गया। इसके अंतर्गत राजनीति और सार्वजनिक जीवन में सक्रिय 150 महिला प्रतिनिधियों का चयन किया गया। इनमें पंचायती राज संस्थाओं, नगर निगम, नगर पालिका, नगर परिषद तथा विभिन्न राजनीतिक दलों की महिला सदस्य और पदाधिकारी शामिल की गईं। चयनित महिलाओं का वर्गीकरण उनके आयु, शिक्षा स्तर, सामाजिक पृष्ठभूमि एवं कार्यक्षेत्र के अनुसार किया गया।

डेटा संकलन की विधि

प्राथमिक आंकड़ों के संकलन हेतु साक्षात्कार, केस अध्ययन तथा प्रत्यक्ष प्रेक्षण की पद्धतियों का प्रयोग किया गया। अनुसूचित साक्षात्कार हेतु प्रश्नावली का निर्माण कर उसमें राजनीतिक सहभागिता, लिंग पहचान,

सामाजिक चुनौतियाँ, पारिवारिक सहयोग, निर्णय-निर्माण की स्वतंत्रता, नेतृत्व अनुभव तथा सामाजिक स्वीकृति जैसे विषय सम्मिलित किए गए।

डेटा वर्गीकरण एवं विश्लेषण

संग्रहित आंकड़ों का मैनुअल वर्गीकरण कर उन्हें विषयवार श्रेणियों में विभाजित किया गया। तत्पश्चात प्रतिशत विधि के माध्यम से उनका विश्लेषण किया गया। आंकड़ों को सारणीबद्ध कर उनके आधार पर निष्कर्ष निकाले गए और विषयगत व्याख्या प्रस्तुत की गई।

अध्ययन की सीमा

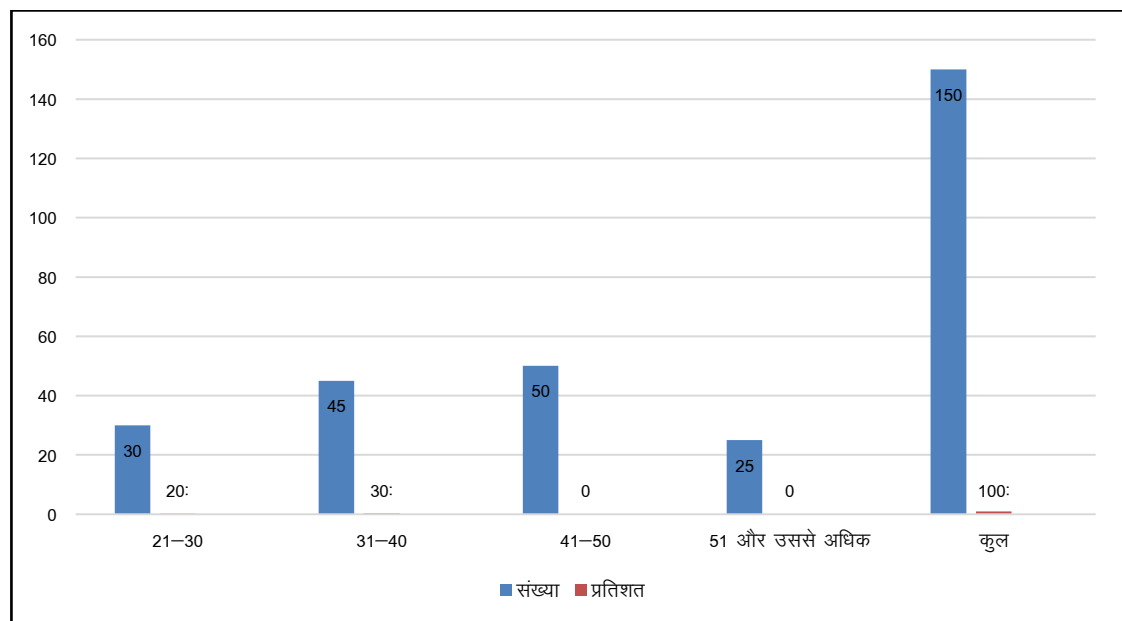
अध्ययन का क्षेत्र केवल भारत के चार राज्यों तक सीमित रहा तथा इसमें केवल 150 महिला प्रतिनिधियों को शामिल किया गया। इस कारण निष्कर्षों को सम्पूर्ण राष्ट्र या अन्य देशों पर समान रूप से लागू नहीं किया जा सकता।

आंकड़ा विश्लेषण एवं व्याख्या

इस अध्ययन के अंतर्गत राजनीति और सार्वजनिक जीवन में कार्यरत 150 महिला प्रतिनिधियों से साक्षात्कार के माध्यम से जानकारी संकलित की गई। प्राप्त जानकारी का मैनुअल वर्गीकरण कर विषयानुसार श्रेणियों में विभाजित किया गया तथा आंकड़ों को प्रतिशत के रूप में तालिकाओं के माध्यम से प्रस्तुत किया गया। इसके आधार पर निम्नलिखित विश्लेषण और व्याख्या प्रस्तुत है:

सारणी 1: महिला प्रतिनिधियों की आयु वर्ग अनुसार संख्या

आयु वर्ग (वर्ष)	संख्या	प्रतिशत
21-30	30	20%
31-40	45	30%
41-50	50	33.33%
51 और उससे अधिक	25	16.67%
कुल	150	100%

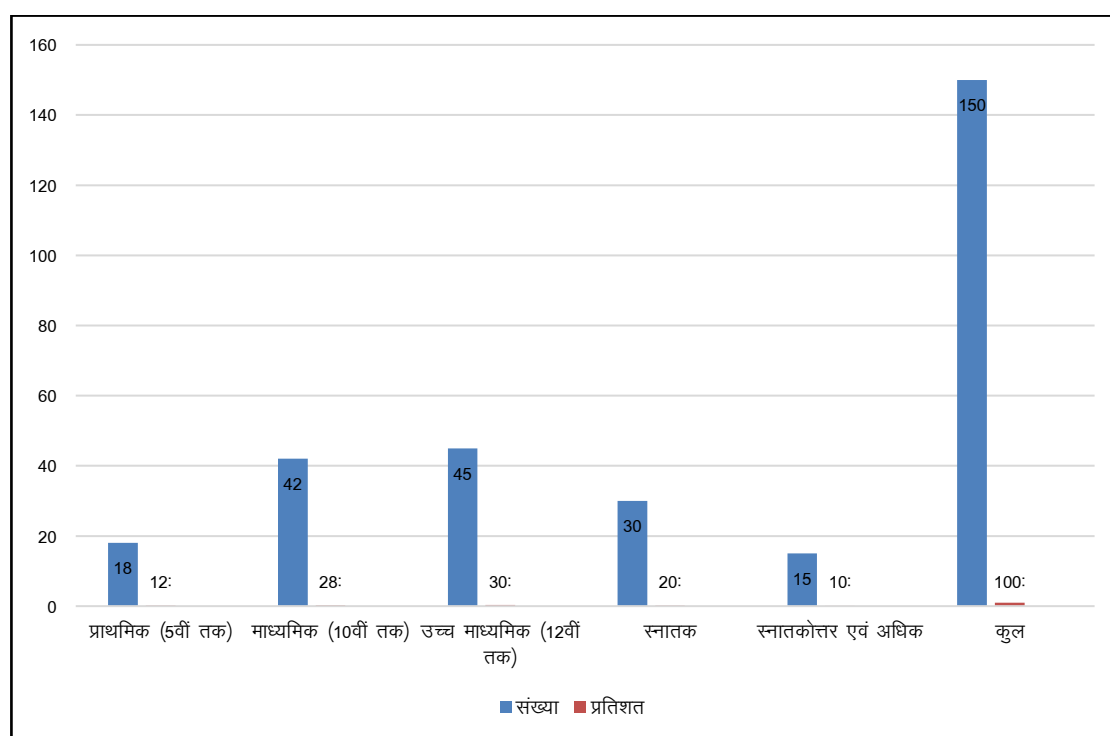


व्याख्या

उपरोक्त सारणी से स्पष्ट है कि अध्ययन में सर्वाधिक 33.33% महिलाएँ 41–50 आयु वर्ग की हैं। यह दर्शाता है कि इस आयु वर्ग की महिलाएँ राजनीति एवं सार्वजनिक जीवन में सक्रिय भागीदारी कर रही हैं। 31–40 आयु वर्ग की महिलाओं की भागीदारी भी 30% रही, जिससे पता चलता है कि युवावस्था की ओर अग्रसर महिलाएँ भी नेतृत्व की ओर प्रवृत्त हो रही हैं। 21–30 और 51+ आयु वर्ग की सहभागिता अपेक्षाकृत कम पाई गई।

सारणी 2: महिला प्रतिनिधियों की शिक्षा स्तर

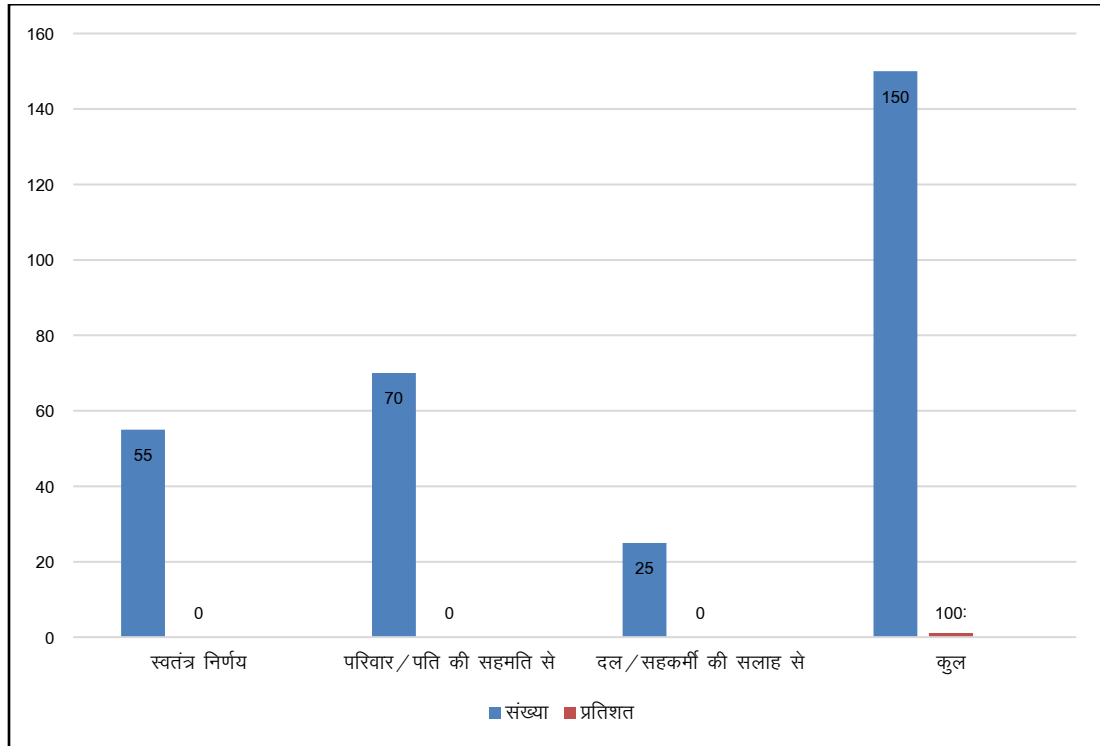
शिक्षा स्तर	संख्या	प्रतिशत
प्राथमिक (5वीं तक)	18	12%
माध्यमिक (10वीं तक)	42	28%
उच्च माध्यमिक (12वीं तक)	45	30%
स्नातक	30	20%
स्नातकोत्तर एवं अधिक	15	10%
कुल	150	100%

**व्याख्या**

इस सारणी से ज्ञात होता है कि राजनीति में सक्रिय महिला प्रतिनिधियों में अधिकांश (30%) उच्च माध्यमिक स्तर तक शिक्षित हैं। 28% महिलाएँ माध्यमिक स्तर तक शिक्षित पाई गईं। स्नातक और स्नातकोत्तर शिक्षित महिलाएँ क्रमशः 20% एवं 10% रहीं। इससे यह निष्कर्ष निकलता है कि शिक्षा स्तर में वृद्धि के बावजूद अब भी राजनीति में अधिकांश महिलाएँ उच्च शिक्षा से वंचित हैं, जो उनके निर्णय-निर्माण और नेतृत्व कौशल को प्रभावित कर सकता है।

सारणी 3: राजनीतिक निर्णय में स्वायत्तता

स्वायत्तता की स्थिति	संख्या	प्रतिशत
स्वतंत्र निर्णय	55	36.67%
परिवार/पति की सहमति से	70	46.67%
दल/सहकर्मी की सलाह से	25	16.66%
कुल	150	100%

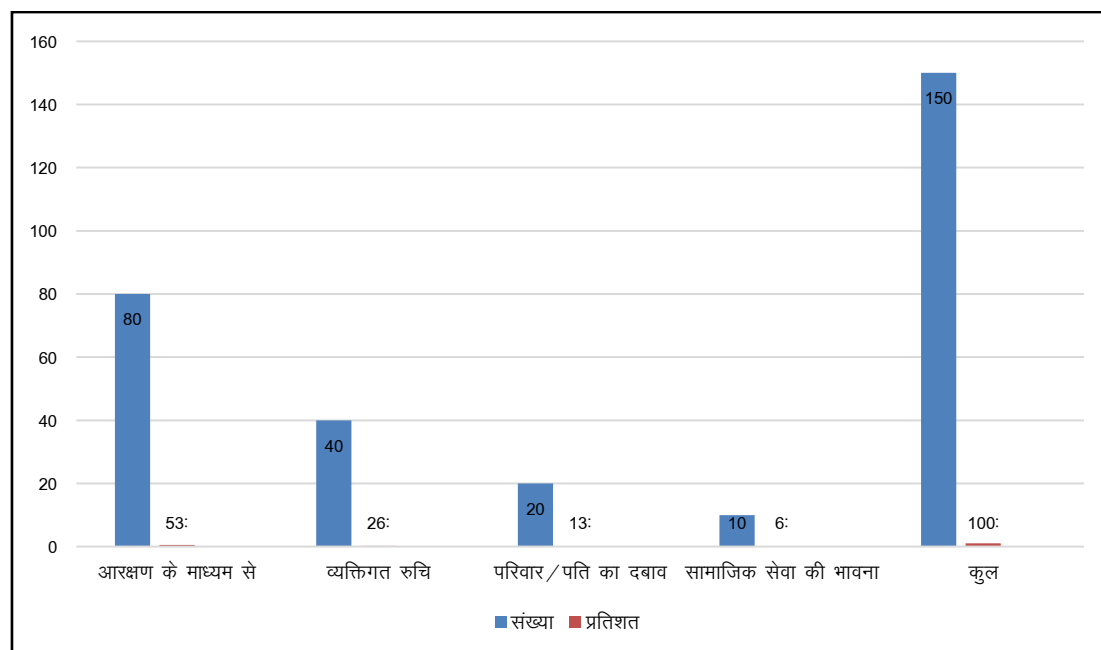


व्याख्या

प्राप्त आंकड़ों से यह पता चला कि केवल 36.67% महिलाएँ ही अपने राजनीतिक निर्णय स्वतंत्र रूप से लेती हैं, जबकि 46.67% महिलाएँ अपने परिवार या पति की सहमति से निर्णय लेती हैं। 16.66% महिलाएँ दल या अन्य सहकर्मियों की सलाह पर निर्णय लेती हैं। यह स्थिति दर्शाती है कि भले ही महिलाएँ प्रतिनिधित्व प्राप्त कर रही हैं, किंतु निर्णय-निर्माण में उनका स्वतंत्र अधिकार अब भी सीमित है।

सारणी 4: राजनीति में आने का प्रमुख कारण

कारण	संख्या	प्रतिशत
आरक्षण के माध्यम से	80	53.33%
व्यक्तिगत रुचि	40	26.67%
परिवार/पति का दबाव	20	13.33%
सामाजिक सेवा की भावना	10	6.67%
कुल	150	100%



व्याख्या

उपरोक्त आंकड़ों के अनुसार 53.33% महिलाएँ आरक्षण के माध्यम से राजनीति में आई हैं। केवल 26.67% महिलाएँ अपनी व्यक्तिगत रुचि के आधार पर इस क्षेत्र में आई हैं। 13.33% परिजनों के दबाव में तथा 6.67% सामाजिक सेवा की भावना से राजनीति में सक्रिय हुईं। इससे स्पष्ट होता है कि आरक्षण व्यवस्था ने महिलाओं को प्रतिनिधित्व का अवसर दिया है, किंतु स्वप्रेरणा और सामाजिक जिम्मेदारी की भावना अभी सीमित है।

उपरोक्त आंकड़ों एवं विश्लेषण से स्पष्ट होता है कि राजनीति और सार्वजनिक जीवन में महिलाओं की भागीदारी धीरे-धीरे बढ़ रही है। यद्यपि आरक्षण ने इस प्रक्रिया को गति दी है, फिर भी निर्णय-निर्माण में स्वतंत्रता और स्वेच्छा से राजनीति में आने की प्रवृत्ति अब भी अपेक्षाकृत कम है। शिक्षा, लिंग आधारित पूर्वाग्रह और पारिवारिक दबाव अब भी उनके नेतृत्व कौशल को प्रभावित कर रहे हैं।

निष्कर्ष

इस अध्ययन के आधार पर यह स्पष्ट रूप से सामने आया है कि भारतीय राजनीति और सार्वजनिक जीवन में महिलाओं की सहभागिता यद्यपि बढ़ी है, परंतु अभी भी वह अपेक्षित स्तर तक नहीं पहुँच पाई है। आरक्षण नीति ने महिलाओं को राजनीतिक प्रतिनिधित्व का अवसर अवश्य प्रदान किया है, किंतु नेतृत्व की वास्तविक शक्ति और निर्णय-निर्माण की स्वतंत्रता अब भी सीमित है। अधिकांश महिला प्रतिनिधि अभी भी सामाजिक-सांस्कृतिक बंधनों, पारिवारिक दबाव और लिंग आधारित पूर्वाग्रहों से जूझ रही हैं।

आंकड़ों के विश्लेषण से यह सिद्ध हुआ कि राजनीति में आने वाली अधिकांश महिलाएँ आरक्षण की बदौलत ही इस क्षेत्र में प्रवेश कर रही हैं। व्यक्तिगत रुचि और सामाजिक दायित्व की भावना से राजनीति में प्रवेश करने वाली महिलाओं की संख्या बहुत कम है। वहीं, निर्णय-निर्माण में भी स्वतंत्रता का अभाव स्पष्ट रूप से देखा गया, जहाँ अधिकांश महिलाएँ अपने परिवार या पति की सहमति से या दल के निर्देशानुसार निर्णय लेती हैं।

शोध में यह भी पाया गया कि शिक्षित महिलाओं की संख्या भले ही धीरे-धीरे बढ़ रही है, किंतु उच्च शिक्षा प्राप्त महिलाओं का प्रतिनिधित्व अब भी बहुत सीमित है। शिक्षा का स्तर महिला नेतृत्व की प्रभावशीलता और निर्णय-निर्माण क्षमता पर प्रत्यक्ष प्रभाव डालता है, अतः इसका सशक्तिकरण आवश्यक है।

इसके अतिरिक्त, राजनीति में सक्रिय महिला प्रतिनिधियों को सामाजिक स्वीकृति प्राप्त करने के लिए पारिवारिक, सामाजिक और दलगत अनेक चुनौतियों का सामना करना पड़ता है। विशेष रूप से ग्रामीण क्षेत्रों में अब भी महिला नेतृत्व को पुरुष वर्चस्व के अधीन माना जाता है।

अतः कहा जा सकता है कि भारतीय लोकतंत्र में महिलाओं का प्रतिनिधित्व मात्र संख्या बढ़ाने तक सीमित न रहकर वास्तविक और निर्णायक नेतृत्व में परिवर्तित होना चाहिए। इसके लिए न केवल नीति-स्तरीय सुधार, बल्कि सामाजिक दृष्टिकोण में भी सकारात्मक परिवर्तन लाना अनिवार्य है।

यह अध्ययन राजनीति और सार्वजनिक जीवन में महिला नेतृत्व को सशक्त बनाने की दिशा में एक महत्वपूर्ण विमर्श प्रस्तुत करता है तथा भविष्य के लिए यह संकेत करता है कि यदि महिलाओं को समान अवसर, शिक्षा, राजनीतिक प्रशिक्षण और सामाजिक स्वीकृति प्राप्त हो, तो वे राजनीति के प्रत्येक स्तर पर सफल और प्रभावी नेतृत्व दे सकती हैं।

संदर्भ ग्रन्थ सूची

1. अग्निहोत्री, इला. भारत में महिला सशक्तिकरण. वाणी प्रकाशन, 2015।
2. शर्मा, राधिका. राजनीति में महिला भागीदारी: एक सामाजिक अध्ययन. राजस्थान विश्वविद्यालय प्रकाशन, 2017।
3. वर्मा, सुधा. भारतीय राजनीति और लिंग समानता. साहित्य भवन, 2018।
4. सिंह, नीलम. पंचायती राज में महिला नेतृत्व का सामाजिक प्रभाव. प्रगति प्रकाशन, 2016।
5. चौहान, रीता. सार्वजनिक जीवन में महिलाओं की भूमिका. साहित्य निकेतन, 2019।
6. गुप्ता, सुषमा. राजनीति और महिला सशक्तिकरण. नीलकमल प्रकाशन, 2020।
7. मिश्रा, अर्चना. राजनीतिक आरक्षण और महिला नेतृत्व. विश्वविद्यालय प्रकाशन, 2015।
8. तिवारी, रचना. भारतीय लोकतंत्र में महिला प्रतिनिधित्व: चुनौतियाँ और संभावनाएँ. राजकमल प्रकाशन, 2021।
9. अग्रवाल, कविता. राजनीतिक नेतृत्व में लिंग भेदभाव. ज्ञानगंगा प्रकाशन, 2017।
10. जोशी, सीमा. पंचायती राज संस्थाओं में महिला सशक्तिकरण. साहित्य मंजूषा, 2023।

